अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 298/2012

परमानंद गुप्ता एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य सरकार —— रेस्पोण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 29.06.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 148/11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी संख्या–1 द्वारा मौजा–कबीरा, थाना नं० 37 अंचल–सलखुआ अंतर्गत 5 एकड़ 86 डी० भूमि निबंधित केवाला दस्तावेज सं०– 15656/82 के माध्यम से भोगी चौधरी पिता–स्व० ससतू चौधरी एवं मसुदन चौधरी से क्रय किया गया एवं खरीदगी कि तिथि से अपीलार्थी उक्त विवादी भूमि पर हकदार यो दखलकार हुए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि विवादी भूमि का वास्तव में खतियान रैयत मुसाय तियर उर्फ भुसाय थे। इन्होनें अपनी पुत्री गिरजा देवी पति–ससतु चौधरी को विवादित भूमि को जुबानी दान दे दिया एवं वे दखलकार हुई। गिरिजा देवी के नाम से जमाबंदी सं० 1474 कायम है एवं मालगुजारी रसीद प्राप्त है। गिरिजा देवी के दो पुत्र स्व० भोगी चौधरी एवं स्व० तुरंती चौधरी के पुत्र मसुदन चौधरी भूमि पर हकदार एवं दखलकार हुए।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि जमाबंदी वाद संख्याः 85/104/87–88 में अंचल अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया गया जिसके अनुसार खाता पुरानाः 213, खेसरा पुरानाः 2089 के रकवाः 06 बीघा 14 कट्ठा 04 धूर भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्याः 2126 चंदन कुमार यो निरंजन कुमार के नाम से कायम हुआ। मालगुजारी रसीद संख्याः 05840 दिनांकः 29.09.89 प्राप्त होना बतलाते है।

निम्न न्यायालय के समक्ष सहायक सरकारी वकील द्वारा कथन किया गया है कि विवादी भूमि मौजा कबीरा, थाना नं0 37, अंचल सलखुआ, जिला– सहरसा के अन्दर , खाता 213 पुराना– 1025 नया, खेसरा 2089 पुराना, 1832 नया रकबा 6 बीघा 14 कट्ठा 4 धूर जिसका रिविजनल सर्वे इन्द्राज अनाबाद बिहार सरकार के नाम सही दर्ज हुआ वदौरान सर्वे वादी के केवाला, लेख्यधारी अथवा खतियानी रैयत के किसी भी वारिसान का विवादित भूमि पर दखल कब्जा नहीं था एवं विवादी भूमि पर बिना किसी दावा के परति पुरान पड़ी हुई थी, जिस कारण ऐसे भूमि का खाता इन्द्राज अनाबाद बिहार सरकार के नाम कानून सम्मत है।

सरकारी अधिवक्ता बहस के क्रम में सरकार के पक्ष में बहस करते हुए प्रश्नगत विवादी भूमि अनाबाद बिहार सरकार की भूमि बतलाते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने योग्य बतलाते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखाप्रित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा